कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी / रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जौनपुर।

पत्रांक 218 / सा0प्र0 / स0सु0 / 20–21 दिनांक–18.06.2020

अधिसूचना

– चूँकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम,1988 (अधिनियम संख्या 59,1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधनित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता सुरक्षा, सुविधा या किसी सडक अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों / विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

और जहा उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्रविधानों के अनुसरणमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी / सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम,1988 (अधिनियम संख्या–59,1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली,1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जौनपुर जनपद होकर निकलने / चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गो या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनो की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है–

क0स0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहा से कहा तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर / थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं संतभ 4,5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1	इलाहाबाद, गोरखपुर, मार्ग (एन0एच0–31)	मुंगराबादशाहपुर से पकड़ी चौराहा (सिकरारा)	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी प्रति घण्टा
2	लुम्बिनी दुद्धी मार्ग (एस0एच0–05)	जमालापुर से रामदयालगंज	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी प्रति घण्टा
3	लखनऊ, बलिया मार्ग (एस0एच0–34)	सरपतहा से शाहगंज	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी प्रति घण्टा
4	लखनऊ, मांझीघाट मार्ग (एस0एच0–36)	जौनपुर से चन्दवक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी प्रति घण्टा
5	बाबतपुर, जमालपुर मार्ग (एस0एच0)	बाबतपुर से जमालपुर	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी प्रति घण्टा
6	जौनपुर, आजमगढ़ मार्ग (प्रा0ख0लो0नि0वि0)	जौनपुर से गौराबादशाहपुर	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी प्रति घण्टा

क0स0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहा से कहा तक)जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गीय गति सीमा			
			टू व्हीलर / थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चलक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं संतभ 4,5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7

8	जौनपुर–मल्हनी–खुटहन मार्ग (प्रा0ख0लो0नि0वि0)	जौनपुर–मल्हनी–खुटहन	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी प्रति घण्टा
9	सिकरारा–बरईपार–सुजानगंज मार्ग (प्रा0ख0लो0नि0वि0)	सिकरारा–बरईपार–सुजानगंज	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी प्रति घण्टा
10	खेतासराय से दीदारगंज मार्ग (प्रा0ख0लो0नि0वि0)	खेतासराय से दीदारगंज	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी प्रति घण्टा
11	मुंगराबादशाहपुर बेलवार मार्ग (प्रा0ख0लो0नि0वि0)	मुंगराबादशाहपुर से बेलवार	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी प्रति घण्टा
12	बरईपार–उसरा बाजार मार्ग (प्रा0ख0लो0नि0वि0)	बरईपार–उसरा बाजार	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी प्रति घण्टा
13	मछलीशहर बरईपार मार्ग (प्रा0ख0लो0नि0वि0)	मछलीशहर से बरईपार	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी प्रति घण्टा
14	बटाऊबीर–सिंगरामऊ मार्ग (प्रा0ख0लो0नि0वि0)	बटाऊबीर से सिंगरामऊ	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी प्रति घण्टा
15	जमालापुर–बरसठी–बघवा मार्ग (प्रा0ख0लो0नि0वि0)	जमालापुर से बघवा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी प्रति घण्टा
16	रामपुर–बरसठी मार्ग (प्रा0ख0लो0नि0वि0)	रामपुर–बरसठी	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी प्रति घण्टा
17	मु0 बादशाहपुर बेलवार मार्ग (प्रा0ख0लो0नि0वि0)	मु0 बादशाहपुर बेलवार	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी प्रति घण्टा
18	मु0 बादशाहपुर जंघई मार्ग (प्रा0ख0लो0नि0वि0)	मु0 बादशाहपुर जंघई	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी प्रति घण्टा
19	थानागद्दी चन्दवक मार्ग (प्रा0ख0लो0नि0वि0)	थानागद्दी से चन्दवक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी प्रति घण्टा
20	कुन्दहा सुजानगंज–मछलीशहर–मडियाहूँ–जलालपुर–केराकत–सुल्तानपुर मार्ग (प्रा0ख0लो0नि0वि0)	कुन्दहा सुजानगंज–मछलीशहर–मडियाहूँ–जलालपुर–केराकत–सुल्तानपुर	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी प्रति घण्टा

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रभावी होगा–

1. मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनो छोर–प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दू पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार संबन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालको को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सकें तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिए रेट्रो रिफलेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।
2. उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में बिनीर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा–

अ) अग्नि शमन वाहन
ब) एम्बुलेंस।
स) पुलिस वाहन।
द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहन।
य) प्रकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिए प्रयुक्त वाहन।

3. उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में उल्लेखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गो के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम,1988 (1988 का 59) की धारा–112 की उप धारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 समय–समय पर यथा संशोधन द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद जौनपुर।

पृ0स0 /अधि0/स0सु0/2020 समदिनांकित–
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परिवहन आयुक्त उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यतायात) यातायात निदेशालय, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी जौनपुर।
4. पुलिस अधीक्षक जौनपुर।
5. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) वाराणसी।
6. संभागीय परिवहन अधिकारी, वाराणसी।
7. निदेशक, छपाई मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
8. अधिशाशी अभियन्ता, प्रान्ती खण्ड/निर्माण खण्ड–1/निर्माण खण्ड–3, लोक निर्माण विभाग, जौनपुर।
9. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पूर्वी) लखनऊ उ0प्र0।
10. जिला सूचना अधिकारी, जौनपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने कि कष्ट करें।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद जौनपुर।